कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 397 /आउशि/अका.प्र./08 भोपाल,दिनांक– 30/10/08

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
म0प्र0।

विषयः–प्रवेश शुल्क वापसी के संबंध में।

संदर्भः–इस कार्यालय के पत्र क्र. 145, दिनांक 3.7.08, क्र. 281, दिनांक 19.9.08 एवं 329, दिनांक 29.9.08

––0––

उपरोक्त विषय के संबंध मं संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया है कि जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात् व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, उनके द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 100/– रूपये प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस किया जाये। किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा इसका पालन नहीं करने से विद्यार्थी अनावश्यक परेशान हो रहे हैं।

चूँकि कौंसिल की प्रक्रिया सितम्बर माह तक चलती रही, अतः जिन विद्यार्थियों ने कौंसिल प्रक्रिया के पूर्व तक महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा किया है, उन्हे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 100/– रूपये प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस किया जाये।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश